राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 232/2017
सतीश कुमार

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये पुलिस महा निदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 31.07.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री विश्वास सैनी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी को वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध कॉस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी के हैड कॉस्टेबल के पद पर उसके अनुभव की गणना दिनांक 01.04.2011 से की जानी चाहिये थी। प्रत्यर्थी विभाग वर्ष 2016–2017 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के पद पर योग्यात्मक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था, परन्तु अपीलार्थी को परीक्षा में इस आधार पर सम्मिलित नहीं किया गया कि अपीलार्थी का अनुभव 5 वर्ष का नहीं है।
2. इस अपील में अधिकरण द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 21.02.2017 पारित कर अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कॉस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के पद के लिये आयोजित परीक्षा में इस अपील में अंतिम निर्णय के अध्याधीन बैठने की अनुमति प्रदान करने के आदेश दिये गये थे एवं यह भी आदेश दिया गया था कि अपीलार्थी का परीक्षा परिणाम अधिकरण के आगामी आदेश तक सील बन्द लिफाफे में रखा जावे। उल्लेखनीय है कि समान मामलों में इस अधिकरण द्वारा अपील संख्या 366/2017 सुवालाल चौधरी बनाम पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर

एवं अन्य एवं 101 अन्य अपीलों में समान आदेश दिनांक 07.02.2019 को पारित किया गया था, जिसमें निम्न प्रकार से निर्णय पारित किया गया :–

> ''6. सुनवाई की गत तिथि को जब हमने उक्त अपीलों पर अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता व विद्वान् अति. राजकीय अधिवक्ता से बहस सुनी तब दोराने बहस यह बताया गया कि अपीलार्थीगण को सहायक उप निरीक्षक की पदोन्नति पात्रता परीक्षा में अधिकरण के आदेश से सम्मिलित कर लिया गया है और बाद में प्रत्यर्थी विभाग के महानिदेशक द्वारा दिनांक 05.04.2017 को पत्र संख्या 1360 जारी किया गया. जिसमें यह अंकित किया गया है कि वर्ष 2016–17 हेतु मुख्य आरक्षी से सहायक उप निरीक्षक व सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद की योग्यात्मक परीक्षा में अनुभव की गणना के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या–309/1998 श्री गोकुल सिंह बनाम राजस्थान सरकार एवं रिट याचिका संख्या 16083/2015 देवेन्द्र प्रसाद बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय के अनुसार अनुभव एवं पात्रता की गणना रिक्तियों के वर्ष की प्रथम अप्रेल से किये जाने के सम्बन्ध मे निर्देश प्रदान किये गये हैं और राज्य सरकार ने उक्त निर्णयों के विरूद्ध कोई अपील नहीं किये जाने का निर्णय ले लिया है और उक्त निर्णयों की पालना की जा चुकी है। इसलिए आगामी योग्यात्मक परीक्षा में कार्मिकों की योग्यता/पात्रता/अनुभव की गणना रिक्ति वर्ष की प्रथम अप्रैल से की जावे। उक्त पत्र संख्या 1360 दिनांक 05.03.2017 (05.04.2017) को विद्धान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के साथ इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर अपीले निष्फल हो जाने से फैसल शुमार किये जाने पर बल दिया, जबकि अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील दी कि जब अपीलार्थीगण को इस अधिकरण के आदेश से परीक्षा में प्रोविजनली बिठाया गया और उनका परिणाम सील बन्द है तो फिर अपीलों को निष्फल नहीं किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग के उक्त पत्र व उक्त निर्णयजन्य विधियों के पारेप्रेक्ष्य में यह आदेश पारित किया जावे कि विभाग अपीलार्थीगण के अनुभव को उनकी पत्रोन्नति जिस वर्ष की रिक्ति के विरूद्ध हुई है उस वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारी से गणना करके उनकी पात्रता पर विचार करे और उनका परिणाम जो शील बन्द है उसको यदि अब तक जिन अपीलार्थियों के सम्बन्ध में नहीं खोला गया है तो खोला जाये और यदि वे पतोन्नति के लिये अन्यथा पात्र होना माने जाए तो उनको उक्त अनुभव के आधार पर दर–गुजर नहीं करे व उनकी नियमानुसार पदोन्नति करे।

7. हमने इस बहस पर चिन्तन मनन किया। उक्त निर्णयजन्य विधियों से व प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या 1360 दिनांक 05.03.2017 (05.04.2017) से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अनुभव की गणना रिक्तियों के वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख से गिनने बाबत सहमति व्यक्त कर दी है तो फिर अपीलार्थीगण जो कि अधिकरण के आदेश से वर्ष 2016–17 की सहायक उप निरीक्षक की रिक्तियों हेतु पदोन्नति पात्रता परीक्षा में प्रोविजनली सम्मिलित किये गये हैं और जिनके परिणाम को अधिकरण ने सील बन्द रखे जाने का आदेश दिया है, उस बाबत हम अपीलार्थीगण की उक्तांकित सभी अपीलों को आंशिक रूप से मंजूर की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश देते हैं कि वे अपीलार्थीगण को उनकी मुख्य आरक्षी के पद पर जिस वर्ष की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति की गयी हैं, उस वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख से उनके मुख्य आरक्षी के पद पर अनुभव की गणना करे तथा लिखित परीक्षा में यदि वे अन्यथा सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होना पाये जावे तो उनके सील बन्द लिफाफों को खोलकर विधि–अनुसार उनकी पदोन्नति पर यथाशीघ्र कार्यवाही करे। प्रत्यर्थीगण को आदेश की पालना के लिये तीन माह का समय प्रदान किया जाता है।

8. मूल आदेश अपील संख्या 366 / 2017 सुवालाल चौधरी में संलग्न किया जा और आदेश की सत्य फोटो प्रतियां उक्त सूची में वर्णित शेष समस्त अपीलों में संलग्न की जावे।

9. आदेश आज दिनांक 07.02.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एव हस्ताक्षरित कर उद्द्घोषित किया गया।''

3. उपरोक्त समान अपीलों में अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण की अपीले स्वीकार की जा चुकी है। परिणामस्वरूप इस अपील में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को उसके हैड कॉस्टेबल के पद पर जिस वर्ष की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति की गयी हैं, उस वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख से उसके मुख्य आरक्षी के पद पर अनुभव की गणना करे तथा लिखित परीक्षा में यदि वह अन्यथा सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होना पाया जाता है तो उसके सील बन्द लिफाफे को खोलकर विधि–अनुसार उसकी पदोन्नति पर यथाशीघ्र कार्यवाही करे।

4. इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)